न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 66 / 2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री कैलाश कुमावत पुत्र श्री बहराम कुमावत देव नगर रोड, रेल्वे फाटक से पहले, पुष्कर
2. श्री रोहित कुमावत पुत्र श्री कैलाश कुमावत देव नगर रोड, रेल्वे फाटक से पहले, पुष्कर थाना पुष्कर
3. श्री विनोद कुमावत पुत्र श्री लालचन्द कुमावत सर्वेश्वर कॉलोन देवनगर रोड,पुष्कर
4. श्री ललित कुमावत पुत्र श्री लालचन्द कुमावत सर्वेश्वर कॉलोनी देवनगर रोड, पुष्कर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री अमरसिंह राठौड अप्रार्थीगण अभिभाषक

आदेश

दिनांक 17.01.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.11.2022 को जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर श्री अरविन्द शर्मा के नेतृत्व में श्री नीरज जैन, एवं श्रीमती दुर्गावती, प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल देवनगर रोड, रेल्वे फाटक से पहले, पुष्कर, श्री कैलाश कुमावत पुत्र श्री बहराम कुमावत के मकान पर दिन में 2.30 बजे पहुंचे। इस मकान के बाहर बहुत सारे घरेलू एवं व्यावसायिक सिलेण्डर रखे हुए थे। इस स्थान के बार में यह शिकायत थी कि यहाँ पर गैस सिलेण्डरो का अवैध कारोबार किया जाता है। मौके पर श्रीमती किरन धर्मपत्नी श्री कैलाश कुमावत एवं उसका युवा पुत्र श्री रोहित कुमावत मौजूद मिले, मौके पर घर के बाहर जमा सिलेण्डरो की गणना करने पर तीन एल. पी.जी. घरेलू सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल 14.2 किग्रा के लाल) पूरे भरे हुये तथा सील्ड पाये गये। एक एच.पी.सी.एल 14.2 किग्राम घरेलू लाल सिलेण्डर खाली भी पाया गया। 19 किग्रा के दो भरे सिलेण्डर भी पाये गये। मौके पर एक लडका छोटा 2 किग्रा गैस का अप्रामाणित सिलेण्डर लेकर आया। जिसे जांच दल से तुरंत पकड़ा तो उसने बताया कि वो यहाँ सिलेण्डर भराने आया है। उसने बताया कि 120 रूपये में दो किग्रा गैस इस घर के निवासी भरते है। उसने श्री कैलाश कुमावत के बारे में बताया कि उसके परिजन यहीं काम करते है। जांच दल द्वारा मकान की तलाशी लेने पर कुल 13 अप्रमाणित सिलेण्डर

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

छोटे 2,3 एवं 5 किग्रा और बरामद हुये। इससे यह स्पष्ट हो गया कि श्री कुमावत के बारे में मिली शिकायत सही थी। मौके पर मौजूद रोहित ने यह स्वीकार किया कि वह गैस रिफिलिंग का काम करता है। उसने स्वयं उसके घर के कमरे से एक बांसुरी जैसा यंत्र बरामद कराया, जिसके द्वारा सिलेण्डरो में गैस भरने का अवैधानिक कार्य किया जाता है। श्री रोहित ने बताया कि वो प्रथम वर्ष कर चुका है, कोई काम न होने से वो ये कार्य कर लेता है। श्री रोहित ने बताया कि वो प्रति किग्रा गैस भरने के 100 रूपये लेता है इसका अर्थ यह है कि यदि 5 किग्रा का सिलेण्डर है तो वो 500 रूपये लेता है। मौके पर पूछताछ से ज्ञात हुआ कि श्री कैलाश कुमावत तथा उसके निकट संबधी गैस के अवैध कारोबार में लिप्त है। श्री रोहित ने बताया कि ये जो बाहर सिलेण्डर रखे है ये उसे बुआ के लड़के श्री विनोद कुमावत पुत्र श्री लालचंद कुमावत निवासी सर्वेश्वर कॉलोनी, देवनगर रोड पुष्कर के है, जो इसका बिना लाइसेन्स ही पुष्कर में अवैध कारोबार करता है। श्री विनोद मौके पर उपस्थित हुआ किन्तु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका तथा लापता भी हो गया। मौके पर पुलिस का जाप्ता देखकर जो लडका सिलेण्डर लाया था वह लापता हो गया। अनेक बार बुलाने पर भी श्री विनोद कुमावत उपस्थित नहीं हुआ। शिकायत सही पाये जाने पर 13 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर तथा भारत की 04 घरेलू श्रेणी के सिलेण्डर तथा 19 किग्रा के तीन एच.पी.सी.एल के एक इण्डेन के 19 किग्रा के 5 सिलेण्डर एक रिफिलिंग बांसुरी राजहित में जब्त कर कब्जे राज ली गई। मौके पर पुष्कर भारत गैस एजेन्सी पुष्कर के मैनेजर श्री रोहित बाणिया को बुलवाकर उक्त जब्तशुदा सामग्री अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु श्री रोहित की सुपुर्दगी में दिया गया। जप्तशुदा सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

S.No.	Sr. No.	CO.	T.W. KG	G.W.	N.W. GAS
1	N0004929-T	HPCL	19.03	24.4	5.1
2	05209	HPCL	21.4	20.4	01
3	146321-T	HPCL	19.02	19.8	0.6
4		IOCL	19.3	21.24	1.94
5		IOCL	19.03	19.8	0.5
6	042629-T	IOCL	19.0	21.4	2.4
7	003928-T	IOCL	19.2	19.33	0.13
8	Q43707	BPCL	19.02	19.3	19
9	721533-S	BPCL	15.6	18.5	2.9
10		IOCL	20.1	38.33	18.23
11	75101	BPCL	15.9	30.5	14.6
12	285733-S	BPCL	15.4	30.2	14.8
13	584014-S	BPCL	15.8	30.25	14.45
14		अप्रमाणित	3.74		
15		अप्रमाणित	6.30		
16		अप्रमाणित	4.25		
17		अप्रमाणित	3.72		

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

18		अप्रमाणित	3.75		
19		अप्रमाणित कैबसन्स	3.76		
20		अप्रमाणित	0.50		
21		कैबसन्स	3.13		
22		अप्रमाणित	7.18		
23		कैबसन्स	3.92		
24		अप्रमाणित	3.85		
25		कैबसन्स	5.20		
26		अप्रमाणित	3.80		
				योग	95.65

फर्द लिखते वक्त मकान के दायीं ओर बनी दुकान जिसके बारे में किसी पडौसी ने यह जानकारी दी कि इस दुकान में भी गैस सिलेण्डरो का भण्डारण है। श्री रोहित कुमावत पर दवाब डालने पर उसने कहीं से चाबी मंगवाकर शटर का ताला खोला तो उसमें अनेक गैस सिलेण्डर भरे पाये बरामद गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्न है:–

S.No.	Sr. No.	CO.	T.W. KG	G.W.	N.W. GAS
1	7090855	HPCL	17.9	19.8	1.9
2	188929	HPCL	15.5	15.7	0.2
3	अपठनीय	HPCL	16.8	17.2	0.4
4	171329-B	BPCL	15.5	30.30	14.8
5	209603-T	BPCL	18.8	19.5	0.7
6	012228-S	BPCL	19.1	38.4	19.3
7	017925-T	BPCL	19.1	38.5	19.4
8		अप्रमाणित	5.60		
9		खाली	0.5		
10		अप्रमाणित	2.0		
11		अप्रमाणित	7.30		

उक्त 11 सिलेण्डर भी राजहित में जब्त कर कब्जे राज लिये गये तथा श्री रोहित बाणिया को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिये गये। अब यह स्पष्ट है कि बडे स्तर पर यह अवैध कारोबार किया जा रहा है तथा बिना किसी विस्फोटक विभाग के अनुज्ञप्ति के 152.35 किलो गैस का भण्डारण किया जाना नितांत अवैधानिक है तथा किसी बडी दुर्घटना की आशंका को उत्पन्न करने वाला है। सबंधित का यह कृत्य राजस्थान एल.पी.जी ऑर्डर 2000 के प्रावधानो स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः

Ansh
(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

निवेदन है कि जब्तशुदा विभिन्न श्रेणियो के 37 गैस सिलेण्डर एवं एक गैस भरने की बांसुरी को राजसात करने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अमरसिंह राठौड अधिवक्ता उपस्थित आये। उभय पक्ष को सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.11.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये सैंतीस (37) विभिन्न श्रेणियों के गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। मौके पर घर के बाहर जमा सिलेण्डरो की गणना करने पर 3 एल.पी.जी सिलेण्डर सिल्ड पाये गये एवं एक एच.पी.सी. एल घरेलू लाल सिलेण्डर खाली पाया गया इसके अलावा 19 किलोग्राम के 2 सिलेण्डर भरे पाये गये, मौके पर एक लडका दो किलो गैस का अप्रामाणित सिलेण्डर लेकर आया जिस जांच दल ने पकडा हो तो उसने बताया हो कि सिलेण्डर भराने आया हूँ जांच दल मकान की तलाशी लेने पर कुल 13 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर बरामद हुये हो, मौके पर मौजूद रोहित ने स्वीकार किया हो कि वह गैस रिफलिंग का काम करता है । मौके पर पूछताछ में ज्ञात हुआ कि कैलाश कुमावत तथा उनके निकट सबंधी गैस के अवैध करोबार में लिप्त है, मौके पर पुलिस का जाप्ता देखकर जो लडका सिलेण्डर लाया था वह भी लापता हो गया, जिसे अनेक बार बुलाने पर भी विनोद कमावत उपस्थित नहीं हुआ है। मौके पर पुष्कर भारत गैस एजेन्सी पुष्कर के मैनेजर श्री रोहित बाणिया को बुलाकर उक्त जप्तशुदा सामग्री यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु राहित को सुपुर्द किये गये हो, फर्द लिखते वक्त मकान के दाये ओर बनी हुई दुकान जिसके बारे में किसी पडौसी ने यह जानकारी की इस दुकान में गैस सिलेण्डरो का भण्डार है जिस प्रकार से प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है, अस्वीकार है एवं मनगढ़ंत हैं। अप्रार्थीगण द्वारा गैस अवैध रिफिलिंग का कारोबार नहीं किया जाता है। इसके अलावा अप्रार्थीगण द्वारा गैस सिलेण्डरो का किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार नहीं किया जाता है। बल्कि अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं के जीविकोपार्जन हेतु गैस चूल्हे एवं भटटीयां रिपेयरिग, प्रेशर कूकर रिपोयरिंग, सिलाई मशीन रिपेयरिंग आदि का कार्य किया जाता है। अप्रार्थीगण एवं उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा गैस रिफलिंग का अवैध कारोबार नहीं किया जाता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 04.11.2022 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 37 गैस सिलेण्डर एवं एक

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

गैस भरने की बांसुरी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

Anu

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर